रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 16, 1995/पौष 26, 1916
No. 10] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 16, 1995/PAUSA 26, 1916

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1995

स. 5(12)/संस्था-III/93.—भारत सरकार ने निर्णय किया है कि इस मंत्रालय के दिनांक 9 अप्रैल, 1994 के समसंख्यक संकल्प में यथा-निहित पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में, संकल्प के पैरा 2(ङ) के नीचे एक नया पैरा 2(च) जोड़कर निम्न प्रकार संशोधन किया जायेगा :—

2(च) : "अगर आयोग ऐसा महसूस करता है कि उसकी नियुक्ति की तारीख से 18 महीनों की अवधि के भीतर उसके लिये अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना सम्भव नहीं हो पाएगा तो आयोग द्वारा अंतरिम राहत की एक और किस्त मंजूर करने तथा महगाई भत्ते के एक और हिस्से को

वेतन के साथ मिलाने (केवल ग्रेच्युटी के प्रयोजन के लिये) के बारे में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष की मांगों पर विचार किया जाये और उस पर अपनी रिपोर्ट दी जाये।

पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा इन मांगों पर विचार करते समय, सितम्बर, 1993 में सरकार द्वारा पहले ही मंजूर की जा चुकी अंतरिम राहत तथा महंगाई भत्ते के 20 प्रतिशत को केवल ग्रेच्युटी के प्रयोजन हेतु वेतन के साथ मिलाने संबंधी तथ्य को हिसाब मे लिया जाये"।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग को भेज दी जाये ।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों और अन्य सभी सम्बन्धितों को भेज दी जाए ।

क. वेंकटेसन, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

RESOLUTION

New Delhi, the 12th January, 1995

No. 5(12)|E.III|93.—Government of India have decided that the Terms of Reference of the Fifth Central Pay Commission as contained in this Ministry's Resolution of even number dated 9th April, 1994 shall be amended by addition of a new para 2(f) below 2(e) of the Resolution as under :—

2(f) : "The Commission may consider the demands of the staff side of the National Council of the JCM for grant of another instalment of interim relief and merger of a further portion of DA with pay (for the purpose of gratuity alone) and send a report thereon, if the Commission feels that it will not be possible for them to submit their final Report within a period of 18 months from the date of its appointment.

While considering these demands, the Fifth Central Pay Commission may take into account the interim relief and the marger of 20 per cent of DA with pay only for the purpose of gratuity already sanctioned by the Government in September, 1993."

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Fifth Central Pay Commission.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all others concerned.

K. VENKATESAN, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995